राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सिंह रावत (तहसीलदार) प्रकरण संख्या : 18 / 2018

अन्तर्गत धारा 90 के सपठित धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

1. रिसर्च एजुकेशन एण्ड ऑडियोलोजीकल डवलपमेन्ट सोसायटी ट्रस्टलीज जरिये चेयरमेन गंगा आर सिंह पौ० कुंवर रघुवेन्द्र सिंह ट्रस्टलीज

:: निर्णय :: दिनांक : 10.04.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ट्रस्टलीज ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि रिसर्च एजुकेशन एण्ड ऑडियोलोजीकल डवलपमेन्ट सोसायटी ट्रस्टलीज जरिये चेयरमेन गंगा आर सिंह पौ० कुंवर रघुवेन्द्र सिंह ट्रस्टलीज द्वारा ग्राम ट्रस्टलीज स्थित भूमि खसरा नं० 719 रकबा 0.28 है० किस्म बंजड़ द्वितीय में से 1340 वर्गमीटर एवं खसरा नं० 818 / 718 रकबा 2.48 है. किस्म बंजड़ द्वितीय में से 649 वर्गमीटर कुल रकबा 1989 वर्गमीटर भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये स्कूल संचालित कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने पर प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी वकील की ओर से दिनांक 27.12.17 को जवाब पेश किया, जिसमें बताया किया कि विवादित भूमि के संपरिवर्तन की पत्रावली जिला कलेक्टर कार्यालय में जेरकार थी, इसी दौरान नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.10(187)नविवि / 3 / 10 दिनांक 09.08.2010 की अधिसूचना द्वारा ग्राम ट्रस्टलीज को नगरपालिका मुकुन्दगढ़ के मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया जिसके कारण भूमि रूपान्तरण की अधिकारिता नगरपालिका मुकुन्दगढ़ की हो गई। जिसमें 2 वर्ष तक भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हुये हैं। ऐसी स्थिति में भूमि संपरिवर्तन करवाया जाना संभव नहीं बताया गया है। संस्था मान्यता प्राप्त बताई गई है। जिसमें लगभग 800 बच्चे अध्ययनरत बताये गये हैं। दिनांक 13.04.2017 को अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ट्रस्टलीज की राजस्व में भूमि खसरा नं० 719 रकबा 0.1574 है० स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी संस्थान के नाम से दर्ज शुदा है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। खसरा नं० 719 के संबंध में प्रार्थी संस्था ने एक दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ़ के यहां पेश किया था जिसका निर्णय होकर नामान्तरण संख्या 1860 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा खसरा नं० 719 रकबा 0.1574 है० की खातेदारी अलग से दर्ज है। उक्त भूमि के मौके पर प्रार्थी संस्था ने कोई पुख्ता निर्माण नहीं कर रखा है तथा न भूमि की किसी प्रकार की किस्म परिवर्तित कर रखी है। कानूनन राजस्थान सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2016 के कॉलम सं. 4 में नियम 6 के अनुसार खातेदारी की भूमि में कोई शिक्षण संस्थान के रूप में उपयोग हो रही है तो एक एकड़ तक किसी प्रकार की रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नहीं है। मालिकी रूपान्तरण की बाध्यता से एक एकड़ तक भूमि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसी स्थिति में संस्थान के विरूद्ध दर्ज अ. धारा 90 (ए) रा.ले.ए. 1956 की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा एजी ऑडिट निकाली गई रिकवरी राशि की रसीद भी प्रस्तुत की गई है, जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार
नवलगढ़ (झुन्झुनू)